

224

आदेश

निलामी पदाधिकारी का न्यायालय चास

श्री रालिग ला...

बेक मु

रदमा संख्या... 3/11/90-91

बी एस. बी. पी. आज़ाद

क्रमां०	तिथि	क्रमां०	क्रमां०
1	2	3	4

5/10/90

8/13/05

प्रबन्धक, "आर.सी.ए." स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया ...
 शाखा धनबाद, अपने विद्वान अधिवक्ता/श्री एस० एम० राय ने अपने अधि-
 वाचन संख्या... 90-91 द्वारा देनदार श्री रालिग ला...
 के विरुद्ध बकाया राशि... 3,45,600 ... वसूल हेतु
 अधिवाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक आवेदन भी
 दाखिल किया गया है जिसमें को दाखिल करने वास्ते समय की मांग
 की गयी है।

अधिवाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली
 योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा 17 पी० डी० आर० ऐक्ट के अधीन
 विधिवत सूचना जारी करें। विद्वान अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है
 कि "कोर्ट फी" अविलम्ब प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना
 के तामिला प्रतिवेदन के साथ दिनांक... को प्रस्तुत करें।

13-12-90

24.12.90-384 (वीन डी चौराडी) 62-
 का कोर्ट फी दाखिल किया है।

निलाम पद०
चास।

D/Am
Dispose
Date
13/12/90

27-4-91

11-8-91

सूचना का लालिमा प्राप्त हुआ, उक्त कोर्ट
 फी का पत्र दाखिल नहीं किया गया।
 अधिवक्ता पत्र का निम्न पत्र संलग्न
 किया जाता है वसूली हेतु कुर्मी जारी करें।
 दिनांक 20-8-91 का 249।

लेखापत्र
 20-40-43/10

20-40-43/10

210
14-8-91

FORM No. 1.

FIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE
ER OF Chas.
n 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914)

of cate	Name and address Certificate holder	Name and Address of the certificate debtor	Amount of Public demand (including Interest if any includ- ing the fee paid under Sec 5 Sub Sec (2) if any) for which this Certificate is signed and period for which such demand is due	Further Particular of the Public demand for which this certificate Signed
	2	3	4	5
91	State Bank of India Natundih Dhanbad.	Salim Khan S/o late Amanat Khan vill- Noudiha P.O. Banstora P.S.Chandankiary Dist. Dhanbad.	Rs. 3755.60 (Rupees three thousand seven hundred fifty five and paise sixty only) + further accured interest with quaterly rest w.e.f. 1.10.90 + other misc. exp.	

I hereby certify that the above mantioned sum Rs. 3755.60
to the above named C. dr.

dition sent under section 5 and)

